न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 52/2022

जी.सी.एम.एस. : 2022/364

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
इण्डस टॉवर्स लिमिटेड (पूर्व में भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड) पता डी–34 सुभाष मार्ग, जी बिजनेस पार्क, तृतीय तल, सी–स्कीम, जयपुर राज. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विकास गायेल		उप तहसीलदार बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 8.7.2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार बगड़ी नगर के प्रकरण संख्या 608/2021 सरकार बनाम इण्डस टॉवर्स लिमिटेड अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2022 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का साण्डिया की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर ग्राम साण्डिया तहसील बगडीं नगर के खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाडा पर सवंत 2078 मे अवैध रूप से कब्जा कर मोबाईल टॉवर बनाकर अतिक्रमण करने के सबध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस विधिवत तामिल हुए बगैर ही एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाते हुए पटवार हल्का साण्डिया की रिपोर्ट के आधार जैर अपील आदेश 21.09.2022 पारित हुए ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाडा पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके पर बेदखल करने एवं शरह लगान 1/– रूपये का 50 गुणा 50/– रूपये जुर्माना से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जैर अपील आदेश जारी करते समय

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। जैर अपील आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित कर दिया गया है जो काबिल खारिज योग्य हैं। अपीलार्थी का मोबाईल टॉवर खसरा नम्बर 1015/2 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भुमि में स्थापित है, जिसके संबध मे नियमानुसार पंजीबद्व लीड डीड वर्ष 2008 में निष्पादित करते हुए पटवार हल्का से मौका रिपोर्ट तैयार करवाने के पश्चात ही टॉवर स्थापित किया गया है एवं वर्ष 2008 से लगातार आज दिन तक उसी स्थान पर पर टॉवर स्थापित किया जाकर आम जन हेतु दुर संचार सेवा संचालित की जा रही है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अतः जैर अपील आदेश काबिल निरस्त है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट ने टावर लगाने हेतु अनुबन्ध किया है, उक्त अनुबंध के आधार पर अपीलाण्ट जैर अपील आराजी पर काबिज है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर मोबाईल टॉवर लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके संबध में पटवार हल्का साण्डिया द्वारा उप तहसीलदार बगडी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाडा पर इण्डस टॉवर कम्पनी लिमिटेड ने अपना टॉवर लगा कर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर उप तहसीलदार बगडी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर विधिवत नोटिस एवं जवाब का समुचित अवसर देकर जैर अपील आदेश पारित कर आराजी पर कब्जा करने पर प्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। पटवारी हल्का साण्डिया द्वारा उप तहसीलदार बगडीनगर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाडा पर अतिक्रमण करने पर उपतहसीलदार बगडीनगर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 608/2021 बअनवान सरकार बनाम इण्डस टॉवर दायर कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.01.2022 को मातहत अदालत में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया। मातहत आदेशिका दिनांक 21.09.2022 के अनुसार गैरसायल को भेजे गये रजिस्टर्ड एडी नोटिस डाक विभाग की रिपोर्ट अनुसार तामील होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया।

ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1015/2 में टॉवर लगाने हेतु गणपतसिंह एवं अपीलाण्ट के मध्य दिनांक 17.04.2010 को एक लीज डीड निष्पादित की गयी।

अति. जिला कलेक्टर पाली

जिसके सम्बन्ध में पटवारी सांडिया की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.05.2010 के अनुसार खसरा नम्बर 1015/2 की भूमि गणपतसिंह पुत्र दातारसिंह राजपूत की खातेदारी व कब्जासुदा जमीन है। यह जमीन इण्डस कम्पनी के उपयोग में आ रही है। ग्राम साण्डिया की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार भी वर्तमान में खसरा नम्बर 1015/2 की भूमी में गणपतसिंह के वारिसान के नाम रेकर्डड खातेदार दर्ज है।

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण सरकारी भूमि में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दर्ज किये जाते है जबकि तत्कालीन पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार टॉवर गणपतसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1015/2 में होना बताया है। साथ ही पत्रावली पर ऐसी भी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है कि जैर अपीलाधनी निर्णय पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने जैर आराजी का कोई सीमाकंन करवाया हो, जिससे यह जाहिर हो सके कि अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा की भूमि पर कोई अतिक्रमण किया हो। जिससे स्पष्ट है कि मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व विधिनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 608/2021 बअनवान सरकार बनाम इण्डस टॉवर लिमिटेड में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण उप तहसीलदार बगड़ीनगर को इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जैर आराजी का विधिवत् सीमांकन कर अपीलाण्ट को **दिनांक 07.08.2024** को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय करे। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.08.2024 को अपीलाण्ट अथवा अपीलाण्ट का प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। **दिनांक 07.08.2024 को अपीलाण्ट अथवा अपीलाण्ट का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहने पर उपतहसीलदार बगडीनगर विधिवत् सीमांकन कर निर्णय पारित करने हेतु स्वतंत्र है।** उप तहसीलदार बगड़ीनगर को निर्णय की प्रति के साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 8/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली